

64

॥ श्री ॥

निगरानी प्रकरण क्र. : ..... / 2017

प्रस्तुति दिनांक : ..... / 04 / 2017

**श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
(म.प्र.) के समक्ष**

इन्दौर टेबल टेनिस ट्रस्ट

R 1110 - PBR - 17

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट द्वारा

अध्यक्ष / ट्रस्टी - श्री अभय छजलानी पिता श्री लाभचन्द छजलानी

निवसनी-अभय प्रशांल, 10, रेसकोर्स रोड,

इन्दौर (म.प्र.)

.....प्रार्थी

विरुद्ध

1. श्रीमान आयुक्त महोदय,

इन्दौर संभाग इन्दौर

मोती बंगला, एम.जी.रोड, इन्दौर (म.प्र.)

2. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय, इन्दौर

जिला इन्दौर प्रशासनिक संकुल, मोती तबेला,

इन्दौर (म.प्र.)

3. तहसीलदार महोदय, नजुल

इन्दौर जिला इन्दौर (म.प्र.)

.....प्रतिप्रार्थीगण

**॥ निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 ॥**

श्रीमान आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग इन्दौर के द्वारा कलेक्टर जिला इन्दौर को प्रार्थी के अनुपस्थिति में, उसे बिना सुने प्रेषित कार्यालयीन आदेश क्रमांक 142/4/7/17 दिनांक 04/03/2017 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी आवेदन निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है।

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

07.4.17 को

कलेक्टर को

*(Handwritten signature)*  
07/04/17

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1110-पीबीआर/17

जिला इंदौर


स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर

11-5-2017

आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह निगरानी आयुक्त के जिस कथित आदेश दिनांक 4-3-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, वह आदेश नहीं होकर कलेक्टर को लिखा गया पत्र है, जिसके विरुद्ध यह निगरानी प्रचलन योग्य नहीं होने से अग्राह्य की जाती है ।



(मनोज गोयल)  
अध्यक्ष